

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

—:: प्रपत्र-6 ::—

निम्नलिखित प्राध्यापका का उनके नाम का समक्ष अंकित तिथि का अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम व्याख्याता पदस्थापन स्थान	विषय	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	फूल चन्द, राउमावि, श्रीमाधेपुर सीकर	शा0शि0	20.07.58	31.07.2018

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित कार्मिकों के विरुद्ध आज तक:-

- 1.राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2.राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3.कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

नोट:- वास्तविक सेवानिवृत्ति तिथि तक यदि कोई विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है, तो संस्था प्रधान तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 28/3/18

क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/सी- 5/ सेवानिवृत्त /2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1.शिक्षा उप निदेशक माध्यमिक,
- 2.जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक
- 3.संबंधित प्रधानाचार्य
- 4.सम्बन्धित कार्मिक
- 5.कम्प्यूटर अनुभाग
- 6.निजी एवं रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

:: कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ::

प्रारूप-6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

-: सेवानिवृत्ति आदेश :-

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाचार्य-उमावि व समकक्ष पद के शिक्षा अधिकारियों को, सेवा-नियम 1951 के उप नियम-56 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक : एफ.1(6) एफडी/नियम/98 दिनांक 28-12-1998, प.1 (6) वित्त/नियम/98 दिनांक 24-05-2004 एवं प.12 (6) वित्त/नियम/20087 जयपुर दिनांक 24-03-2015 के द्वारा संशोधित नियमों के तहत उनके द्वारा (60 वर्ष की) अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर, उनके नाम के सम्मुख अंकित सेवानिवृत्ति-तिथि से, सरकारी-सेवा से अपरान्ह सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्रसं	नाम मय पद	वर्तमान पदस्थापन	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
01	श्री पन्नालाल सोनी, अतिरिक्त जिशिअ0 समकक्ष प्रधानाचार्य-उमावि	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा, पाली	03-02-1959	28-02-2019
02	श्री गिरवर सिंह राजपूत, वरिष्ठ व्याख्याता समकक्ष प्रधानाचार्य-उमावि	जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान, डाईट अलवर	20-07-1958	31-07-2018
03	श्री सुरेश चन्द गोयल, मूल पद प्रधानाचार्य- उमावि	राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, एसआईआईआरटी0 उदयपुर	05-04-1958	30-04-2018
04	श्री चेतन प्रसाद उपाध्याय, वरिष्ठ व्याख्याता समकक्ष प्रधानाचार्य-उमावि	जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान, डाईट गढी जिला बासवाडा	02-09-1958	30-09-2018
05	श्रीमती तारा रानी, अति0 जिशिअ0 समकक्ष प्रधानाचार्य-उमावि	कार्यालय शिक्षा उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, कोटा संभाग कोटा	12-08-1958	31-08-2018
06	श्रीमती ममता शर्मा, वरिष्ठ व्याख्याता समकक्ष प्रधानाचार्य-उमावि	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डाईट बून्दी	12-06-1958	30-06-2018
07	श्री बदरुनिस्सा खिलजी, उपाचार्य डाईट समकक्ष प्रधानाचार्य-उमावि	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डाईट बून्दी	20-07-1958	31-07-2018
08	श्रीमती सोमलता शर्मा, वरिष्ठ व्याख्याता समकक्ष प्रधानाचार्य-उमावि0	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डाईट बून्दी	10-12-1958	31-12-2018
09	श्री राजेन्द्र सोनी, बीईईओ समकक्ष प्रधानाचार्य-उमावि	कार्यालय ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी झालरापाटन जिला झालावाड	01-01-1959	31-12-2018

कार्यालय का पता - निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
E-mail I.D. absecsecedu@gmail.com

Telephone NO. 0151-25 23 666
Fax NO. 0151- 22 01 861

10	श्री दिनेश कुमार व्यास, प्रधानाचार्य	कार्यालय स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल, खैरवाडा, उदयपुर	05-08-1958	31-08-2018
11	श्री चैनसुख पुरोहित, प्रधानाचार्य	कार्यालय स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल, पोकरण (सांकडा) जैसलमेर	21-07-1958	31-07-2018
12	श्री नारायण सिंह भाटी, वरिष्ठ व्याख्याता समकक्ष प्रधानाचार्य—उमावि	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाईट बाडमेर	01-07-1958	30-06-2018

उपरोक्त उल्लेखित कार्मिकों के सम्बन्ध में यह प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध आज दिनांक तक -

- 01 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
- 02 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
- 03 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।




(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :: शिविरा-मा/संस्था/बी-2/सेवनिवृत्ति/45002/2018-19/12 दिनांक : 27/03/2018.
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 01 सम्बन्धित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक/ प्रारंभिक शिक्षा)
- 02 सम्बन्धित सयुक्त-निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग।
- 03 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित कार्मिक से पच्चास रूपये के स्टैम्प पर प्रारूप-6 का मूल शपथ-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही पेन्शन प्रकरण निस्तारण प्रारंभ करावें।
- 03 सिस्टम एनॉलिस्ट (सयुक्त निदेशक) कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालया हाजा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोडिंग हेतु।
- 04 सम्बन्धित संस्था प्रधान/ कार्यालयाध्यक्ष
- 05 सम्बन्धित कार्मिक/निजी पत्रावली।


सयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर